

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

जापांक 59/1552
ग्रा0वि0-6-बजट/05-08/2026
सेवा में,

पटना, दिनांक 13.07.26

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के तहत NRLM अंतर्गत DDU-GKY योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य, अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना मद में कुल राशि ₹0 500.00 लाख (पाँच करोड़) एवं इस राशि के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय आनुपातिक राज्यांश की राशि ₹0 333.33 लाख (तीन करोड़ तेतीस लाख तेतीस हजार) अर्थात् कुल राशि ₹0 833.33 लाख (आठ करोड़ तेतीस लाख तेतीस हजार) का Mother Sanction एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से चलाई जा रही है ।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-J-17014/01/2015-DDU-GKY (15) दिनांक-18.06.2026 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) अंतर्गत DDU-GKY योजना के क्रियान्वयन हेतु SNA-SPARSH के तहत केन्द्रांश मद में Mother Sanction के रूप में निम्नवत् राशि की विमुक्ति की गयी है:-

(राशि लाख ₹0 में)		
क्र.सं.	मद	राशि
1	सामान्य	354.05
2	अनुसूचित जाति	91.10
2	अनुसूचित जनजाति	54.85
कुल-		500.00 लाख (पाँच करोड़)

4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत DDU-GKY के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से SNA-SPARSH के तहत Mother Sanction के रूप में प्राप्त राशि के विरुद्ध अनुपातिक (60:40) देय राज्यांश की राशि निम्नवत् है:-

(राशि लाख ₹0 में)			
क्र.सं.	घटक	केन्द्रांश	आनुपातिक देय राज्यांश
1	सामान्य	354.05	236.03
2	अनुसूचित जाति	91.10	60.73
3	अनुसूचित जनजाति	54.85	36.57
कुल-		500.00	333.33

5. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के पत्रांक-BRLPS/Acctts/677/26/1124 दिनांक-03.07.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत DDU-GKY के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् राशि Mother Sanction एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि ₹0 लाख में)

क्र.सं.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	सामान्य	354.05	236.03	590.08
2	अनुसूचित जाति	91.10	60.73	151.83
3	अनुसूचित जनजाति	54.85	36.57	91.42
	कुल-	500.00	333.33	833.33

6. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत DDU-GKY के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त Mother Sanction के आलोक में उपबंधित बजट के विरुद्ध राशि विपत्र कोडवार एवं उप शीर्षवार केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि ₹0 लाख में)

क्र0 सं0	बजट शीर्ष	केन्द्रांश मद की राशि (60%)	राज्यांश मद की राशि (40%)	कुल विमुक्ति एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5=(3+4)
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम, लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0206 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) (एन0आर0एल0एम0), विपत्र कोड 42- 2501061010206 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 04- वेतन (सामान्य मद) विषय शीर्ष-3104	21.24	14.16	35.40
2	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम, लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0206 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU- GKY) (एन0आर0एल0एम0), विपत्र कोड 42- 2501061010206 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद) विषय शीर्ष- 3106	332.81	221.87	554.68
3	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम, लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0205 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) (एन0आर0एल0एम0), विपत्र कोड 42- 2501067890205 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 04- वेतन (अनुसूचित जाति मद) विषय शीर्ष-3104	5.47	3.64	9.11

4	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम, लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0205 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) (एन0आर0एल0एम0), विपत्र कोड 42-2501067890205 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जाति मद) विषय शीर्ष-3106	85.63	57.09	142.72
5	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम, लघुशीर्ष- 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष- 0205 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) (एन0आर0एल0एम0), विपत्र कोड 42-2501067960205 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 04- वेतन (अनुसूचित जनजाति मद) विषय शीर्ष-3104	3.30	2.20	5.50
6	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम, लघुशीर्ष- 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष- 0205 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) (एन0आर0एल0एम0), विपत्र कोड 42-2501067960205 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जनजाति मद) विषय शीर्ष-3106	51.55	34.37	85.92
कुल-		500.00	333.33	833.33

7. Mother Sanction के आलोक में स्वीकृत राशि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा राज्य (मुख्यालय) एवं जिलावार विवरणी उपलब्ध कराये जाने की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कुल स्वीकृत राशि रू0 833.33 लाख (आठ करोड़ तेतीस लाख तेतीस हजार) की राज्य (मुख्यालय) एवं जिलावार विवरणी अलग से उपलब्ध करायी जायेगी ।

8. वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा ।

9. अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि को CFMS के माध्यम से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना के स्तर से कंडिका-7 के आलोक में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर Implementing Agency को Mother Sanction उपलब्ध करायी जायेगी ।

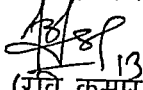
10. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना द्वारा योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा । SNA-SPARSH Module से राशि के निकासी के आलोक में विहित प्रावधान के तहत व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा ।

11. वित्त मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-F.N.1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023, 07.08.2023, 20.11.2023, 16.01.2024 तथा दिनांक-20.06.2024 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में राशि का व्यय/हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-ग्रा0वि0/06-बजट/05-08/2026 के पृष्ठ- ०७ /टि0 पर दिनांक- ०७/०७/२०२६ को प्राप्त है ।

13. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका सं0-ग्रा0वि0/06-बजट/05-08/2026 के पृष्ठ- ०९ /टि0 पर दिनांक- १०/०७/२०२६ को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

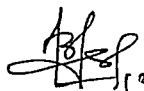

(रवि कुमार) 13/7/24

ज्ञापांक 5911552

पटना,

सरकार के संयुक्त सचिव
दिनांक 13.07.26

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

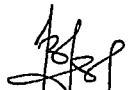

13/7/24

ज्ञापांक 5911552

पटना,

सरकार के संयुक्त सचिव
दिनांक 13.07.26

प्रतिलिपि- संतोष कुमार तिवारी, निदेशक (RS), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सातवाँ तल्ला, NDCC बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ आई0टी0मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


13/7/24

ज्ञापांक 5911552

पटना,

सरकार के संयुक्त सचिव
दिनांक 13.07.26

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


13/7/24

सरकार के संयुक्त सचिव